>

Title : Discussion on Demands for Grants Nos. 1-3 under the control of the Ministry of Agriculture and Grants Nos. 16 and 17 under the control of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up together the discussion and voting on Demand Nos.1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture and Demand Nos.16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2 and 3 relating to the Ministry of Agriculture."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution."

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए आने वाली अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कट मोशन मूव नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सामने वैसे ही फंड का इतना बड़ा संकट है। बजट वैसे ही इतना कम है, इसलिए मेरा यही दिल गवारा किया कि मैं एक रूपए कटौती करने की मांग न करूं, इसलिए मैं कोई कट मोशन नहीं लाया हूं। मैं केवल मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर की डिमांड्स फार ग्रांट्स पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जब कभी भी संसद में कृषि पर कोई चर्चा हुयी है, तो उस पर बराबर गंभीर चर्चा हुयी है। सम्मानित सदस्यों ने इस देश की कृषि व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, बराबर यह कहा जाता रहा है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ कहा गया कि किसान यहां का अन्नदाता है, इसलिए दूसरा भगवान है। ऐसे बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों के द्वारा किसानों को विभूषित किया जाता रहा है, लेकिन आजादी के 62 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी, हम यह देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के हालात में जैसा सुधार होना चाहिए, वैसा सुधार आज तक नहीं हो पाया है। मैंने कहीं पढ़ा था और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था : Everything else can wait, but not agriculture. सब मामलों में प्रतीक्षा की जा सकती है, लेकिन कृषि के मामले में प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। चाहे किसी सरकार ने जब भी कोई बजट प्रस्तुत किया होगा, चाहे वह जनरल बजट प्रस्तुत किया होगा, अथवा कृषि से संबंधित बजट प्रस्तुत किया होगा, तो बराबर यही कहा होगा कि हमारी सरकार कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहती है और किसानों के हालात को सुधारना चाहती है। यही सब दावे बराबर किए गए। लेकिन हमने यह देखा कि इसका परिणाम कोई खास नहीं निकला है, बल्कि कृषि क्षेत्र की स्थिति आजादी के 62 वर्षों के बावजूद बद् से बद्तर होती जा रही है। जबकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा प्रोडयूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई है, तो वह हिंदुस्तान का किसान है। जिस दिन हिंदुस्तान के किसान की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसी दिन देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ चलने लगेगी। चाहे कोई किसी पेशे में लगा हुआ हो, मैं समझता हूं कि उसका भी पेशा ठीक तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का ग्राहक यदि कोई है, तो वह हिंदुस्तान का किसान है।

महोदय, कृषि की अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि 40 मिनट, 50 मिनट अथवा 2, 4 या 10 घंटे के अंदर इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं पहले भी इस संबंध में एक बार अनुरोध कर चुका हूं, इस सदन में नहीं, लेकिन दूसरे सदन में अनुरोध कर चुका हूं कि कृषि का विषय इतना संवेदनशील है कि एक बार भारत सरकार को इस पर एक स्पेशल सैशन बुलाना चाहिए। वह स्पेशल सैशन 10 या 15 दिन का हो, जिसमें कृषि के संबंध में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जब तक कृषि क्षेत्र के हालात में हम सुधार नहीं लायेंगे, तो जिस प्रकार के विकसित भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, एक डेवलप्ड भारत खड़ा करना चाहते हैं, वैसे डेवलप्ड भारत को खड़ा कर पाना, हमारे लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा।

महोदय, जहां तक इस देश के कृषि के हालात का प्रश्न है, हमारे देश की लगभग 75 करोड़ जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुयी है अथवा लोग कृषि पर पूरी तरह से आधारित हैं। मैं मान रहा हूं कि आज की हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ के आसपास हो गयी है। हमारे देश की जितनी टोटल वर्क-फोर्स है, उस वर्क-फोर्स के 55 प्रतिशत लोग आज कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ में तेजी के साथ गिरावट आ रही है, आत्महत्या की घटनायें बढ़ रही हैं, इसके साथ ही साथ गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी तेजी के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फार्मर और नॉन-फार्मर्स के बीच पहले इंकम का रेश्यो 1:2 हुआ करता था, 1:3 हुआ करता था आज वह बढ़कर 1:6 से 1:8 तक पहुंच गया है।

सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक लोग कुपोषण के शिकार यदि कहीं हैं तो वह कृषि के क्षेत्र में हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि कब तक सराकर इसी प्रकार से मार्किट बॉरोइंग करती रहेगी, फिस्कल डैफीसिट को बढ़ाती रहेगी। इन सबके बावजूद एग्रीकल्चरल ग्रोथ जितनी तेजी के साथ बढ़नी चाहिए, वह एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाती है। यदि यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा और इसी तरीके से हम चलाते रहे, तो मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में हमें किसी भी सूरत में वांछित विकास प्राप्त नहीं हो पाएगा।

चार्वाक ने जो कहा है, वह मुझे याद आता है -

यावत जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम कृत्वा धृतं पिवेत।

भस्मीभूतः देहस्य पुनरागमनम् कुतः।।

यानी जब तक जीयो, कर्ज लेकर जीयो, सुख से जीयो, नहीं तो यदि यह शरीर ही भस्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या बचेगा। मुझे लगता है कि हमारी यह सरकार भी इसी प्रकार की नीति अपना रही है। मैं जहां कृषि क्षेत्र के इन सारे प्रश्नों पर संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वहीं हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि भारत के पास इस समय विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च और एक्सटैंशन सिस्टम है। हमारे यहां आईसीएआर है। आईसीएआर से जुड़ी हुई लगभग सौ इस प्रकार की संस्थाएं हैं। लेकिन इतनी संस्थाएं होने के बावजूद भारत अपनी प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल ऐवरेज प्रोडक्टिविटी के समक्ष खड़ा नहीं कर पा रहा है। आज हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, माडर्नाइजेशन के बाद ग्लोबल कम्पीटिशन में आकर खड़े हो गए हैं, फिर भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ग्लोबल ऐवरेज प्रोडक्टिविटी से काफी कम है। हम जानते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार की फसल पैदा होती है। हमारे देश में किसी प्रकार की विविधता और क्षमता की कमी नहीं है। सब कुछ होने के बावजद आज फड प्रोसैसिंग, जो एग्रीकल्चर का एक ऐलाइड सैक्टर है, यदि फड प्रोसैसिंग के मामले में देखा जाए तो भारत फड

प्रोसैस्ड आइटम्स का बामुश्किल दो प्रतिशत ही एक्सपोर्ट कर पाता है। भारत कैसे ग्लोबल कम्पीटिशन में खड़ा हो पाएगा, कैसे हमारे देश का किसान ग्लोबल कम्पीटिशन में खड़ा हो पाएगा।

जहां तक फूड प्रोसैसिंग के लिए बजट ऐलोकेशन का प्रश्न है, बजट को देखने के बाद निराशा हुई है। बजट ऐलोकेशन फूड प्रोसैसिंग के लिए पूरी तरह नॉमिनल है। हमारा कहना है कि वैल्यू एडीशन का लाभ क्या सरकार किसानों को नहीं देना चाहती है? क्या यह सरकार देश के किसानों को सीधा बाजार के साथ नहीं जोड़ना चाहती है? जहां तक एडवांस रिसर्च का प्रश्न है, एडवांस रिसर्च में भी भारत दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। फिर भी जहां तक साग-सब्जियों, फल-फूल का प्रश्न है, वे इतनी बड़ी मात्रा में बर्बाद होते हैं कि इंग्लैंड में फल-फूल और साग-सब्जियों का जितना कंजम्शन होता है, उससे अधिक मात्रा में हमारे देश में बर्बादी हो रही है। लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं है, उनके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोल्ड चेन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा संकट है जिसका खामियाज़ा हमारे देश के किसानों को ही भुगतना पड़ता है।

जब फाइनैंस मिनिस्टर बजट स्पीच दे रहे थे, उन्होंने यह बात कही कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो सबसिडी दी जाती है, उस सबसिडी का लाभ अब सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, वह सबसिडी किसानों को दी जाएगी। वित्त मंत्री जी ने किसानों को सबसिडी देने की बात तो कही, उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, कि 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं। लेकिन बामुश्किल 3 करोड़, 60 लाख किसान परिवारों का ही बैंकों में एकाउंट्स है। आज से तीन साल पहले लगभग 4 करोड़ ऐसे कृषक परिवार थे, जिनका बैंकों में एकाउंट्स था, लेकिन वह संख्या घटती जा रही है। आपने लोन वेवर्स पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, उसके बावजूद बैंकों में कृषक परिवारों के एकाउंट्स की संख्या निरंतर कम होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के बाद भारत का किसान भी ग्लोबल कम्पीटिशन में अपने को खड़ा करना चाहता है। इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद भारत भी डब्ल्यूटीओ का सिगनेटरी बन गया है। उस ग्लोबल कम्पीटिशन में हम कैसे खड़े हों, इसके लिए भी विशेष चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है। अब फसलों की इतनी विविधता होने के बावजूद, मैं किसान परिवार का होने के नाते जानता हूं कि जितनी फसलें भारत में पैदा होती हैं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां इतनी प्रकार की, इतनी वैरायटीज की फसलें पैदा होती हैं। लेकिन फिर भी क्रॉप शिफ्ट प्रोग्राम की ओर हमारी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोक सभा और राज्य सभा का अपना-अपना चैनल है। लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही यदि किसी व्यक्ति को देखनी होती है, तो वह अपने घर में बैठकर लोक सभा और राज्य सभा के चैनल्स को खोलकर बड़े आराम से देख सकता है। लेकिन इस देश की 60-65 फीसदी आबादी जिस पेशे में लगी हुई है, उस कृषि पेशे से जुड़ा हुआ एक भी चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मनोरंजन, न्यूज, फैशन, धर्म, संस्कृति आदि हर प्रकार के चैनल्स देखने को मिल जायेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए जानता हूं कि जब हम छोटे थे तब गांव में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। उस समय किसान शाम के समय रेडियो खोलकर बैठता था और जो प्रोग्राम्स आते थे, उसी आधार पर कभी-कभी गांव में रहने वाला किसान भी अपने खेती के पैटर्न के संबंध में डिसीजन लेता था। आज भारत के कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर रिसर्च जितनी तेजी से कर रहे हैं, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमारा कहना है कि कहीं न कहीं हमारे जो एक्सटैंशन प्रोग्राम्स चलाये जा रहे हैं, उनमें कमी आ गयी है।

मुझे याद है कि जब मैं गांव में रहकर कक्षा छः, सात और आठ में पढ़ता था, तो वहां ग्राम सेवक और पंचायत सेवक हुआ करते थे। वे ग्राम सेवक, पंचायत सेवक किसानों के पास जाकर गांव-गांव सीधा सम्पर्क करते थे और उनको बताते थे कि तुम इस प्रकार का बीज खेत में डालो, इतने समय के बाद सिंचाई और बुआई करो आदि तरह-तरह बातें बताते थे, तो उसके अनुसार किसान अपनी फसल पैदा करता था और अपनी उत्पादकता को बढ़ाता था। आज संसद में, मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री रहते हुए, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री थे, उनकी इजाजत से मैंने कृषि चैनल प्रारंभ करने का निर्णय लिया। मैं जानता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी भी गांव के ही रहने वाले हैं। वे गांव, गरीब और किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। निश्चित रूप से कृषि चैनल प्रारंभ किए जाने के संबंध में वे फैसला लेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि चैनल के माध्यम में हम रिसर्च टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें किसानों तक पहुंचा सकते हैं। गांव का किसान उस चैनल को देखने में बहुत अधिक रुचि लेगा। आज कृषि की जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1950 में नैशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 55 परसेंट था, लेकिन आज वह घटकर एप्रॉक्सीमेटली 17 परसेंट तक पहुंच गया है। उस समय खेती पर जितने लोग निर्भर थे, आज उस पर निर्भर रहने वालों की संख्या पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गयी है।

यदि पिछले 60 सालों में देखा जाए, एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट का यदि एवरेज निकाला जाए, आज तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट दो प्रतिशत से भी कम हो गयी है, लेकिन सन् 1950 से लेकर आज तक अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट निकालें, तो हम देखते हैं कि यह दो से 2.5 प्रतिशत के लगभग आएगी, यह इससे अधिक नहीं है। जहां पर आज भी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्युशन लगभग 16 से 17 प्रतिशत है, वहीं पर कृषि के लिए हमारा प्लान्ड आउटले महज दो से तीन फीसदी तक ही रह गया है। मैं यह देख रहा था

कि अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति हेक्टेअर पब्लिक इनवेस्टमेंट कितना हुआ। मैं उसके आंकड़े यहां पर देना चाहता हूं - पांचवीं पंचवर्षीय योजना, उससे पहले की पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़ें मैंने यहां नहीं रखे हैं, में प्रति हेक्टेयर 63 रूपए खर्च किए गए, छठीं पंचवर्षीय योजना में 34 रूपए खर्च किए गए। इसके बाद यह खर्च निरंतर घटता गया, केवल एक बार एनडीए के शासनकाल में यह कुछ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद यह निरंतर घटता जा रहा है और आज यह घटकर मात्र 12 से 14 रूपए प्रति हेक्टेअर रह गया है। इतनी दयनीय स्थिति है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि केवल पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़ाने से एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हमें प्राइवेट इनवेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाना होगा। उसके लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण पूरे देश में तैयार करना होगा, जिससे हमारा पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़े और उसके साथ ही प्राइवेट इनवेस्टमेंट भी तेजी के साथ बढ़े। कृषि के प्रति उपेक्षा के इसी रवैये के कारण ही देश में कृषि के मामले में हमें कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के कृषि क्षेत्र में एक इनहेरेन्ट स्ट्रेंथ है, जिसे एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भारत की यह जो इनहेरेन्ट स्ट्रेंथ है, उसे कैसे और अधिक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।

श्रीमन्, कृषि एवं उसके एलाइड सेक्टर्स में ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन वर्ष 2001-02 में 11.7 प्रतिशत था। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में यह 10.2 प्रतिशत, वर्ष 2000-2001 में 9.7 प्रतिशत, वर्ष 2001-02 में 11.7 प्रतिशत और वर्ष 2003-04 में 10.3 प्रतिशत रहा। कृषि का ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन में यह कंट्रीब्युशन रहा है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि का ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन में कंट्रीब्युशन घटकर सात फीसदी से भी कम हो गया है। पिछले पांच वर्ष लगातार यूपीए की सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पांच वर्षों में जीसीएफ में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्युशन बढ़ने की बजाय क्यों घटा? आप कैसे यह दावा करते हैं कि यह सरकार कृषि क्षेत्र के विकास पर भरपूर ध्यान दे रही है और किसानों के हालात सुधारने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है? कृषि का जीसीएफ में कंटीब्युशन कैसे बढ़ेगा, यह बढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। जितने भी प्रमुख जीन्स हैं, उनका उत्पादन तेजी के साथ गिरा है। मैं दालों के संबंध में बताना चाहूंगा जिनकी कीमत आज आसमान छू रही है, 80 रूपए, 90 रूपए प्रति किलोग्राम तक दाल की कीमत बाजार में पहुंच गयी है। वर्ष 2008-09 में इसका कुल प्रोडक्शन 40.18 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 3.9 फीसदी कम है। इसी तरह से तिलहन के उत्पादन में भी कमी आई है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें समय लगेगा। गन्ना, जिसके साथ हमारे कृषि मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इसकी जानकारी होगी कि गन्ने के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2007-08 में जहां गन्ने का उत्पादन 3482 लाख टन था, वह वर्ष 2008-09 में घटकर 2892 लाख टन ही रह गया। कपास के उत्पादन में भी तेजी से गिरावट आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में बहुत साल पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी। यह सरकार अब दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रही है और उसका दावा भी कर रही है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि हम दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन को कैसे देश में कायम करेंगे और कैसे वह प्रारम्भ होगी। प्रधान मंत्री जी ने यह भी दावा किया है कि आज जो खाद्यान्न का उत्पादन है वह 200 से 230 मिलियन टन है, उसे वर्ष 2015 तक हम दोगुना कर देंगे। हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह बात हमारी समझ के परे है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन की चर्चा बार-बार न करें, बल्कि एक बार 10-15 या 20 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएं और एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात हमें करनी चाहिए, ताकि कृषि के क्षेत्र में सतत् विकास होता रहे और इसमें किसी प्रकार की कमी न आने पाए। हमारा कहना है कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्टिविटी को सीधे बाजार से जोड़ा जाना चाहिए और साथ ही साथ उपभोक्ताओं से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इस पर सरकार ध्यान दे, मेरा यह सरकार से आग्रह है।

सरकार द्वारा खाद्यान्न बढ़ाने की बात कही जाती है। मैंने पहले ही कहा कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, जो आप वर्ष 2015 तक जो अभी 200-230 मिलियन टन अनाज पैदा होता है, उसे दोगुना करने की बात कर रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सन् 2005-2006 से लेकर सन् 2007-2008 तक, इन तीन वर्षों में हमारा कुल उत्पादन मात्र एक करोड़ टन बढ़ा है, जबकि लक्ष्य है कि हम इसे 2015 तक 40 करोड़ टन तक ले जाएंगे। इस सरकार ने यह मिनीमम लक्ष्य निर्धारित किया है। सन् 2007-2008 में कुल खाद्यान्न का लक्ष्य 23 करोड़ 30 लाख टन था, जो घटकर और भी कम रह गया है। यदि सरकार तीन साल में एक करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाएगी, तो वर्ष 2015 तक हम कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं कि 40 करोड़ टन तक फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस सरकार को कम से कम 40 साल का समय चाहिए, तब जाकर वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 से लेकर वर्ष 2007-2008 तक की आबादी की चर्चा करना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना बढ़ा है, उसकी तुलना करना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी इस दौरान लगभग आठ फीसदी बढ़ी है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में केवल पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि इस शार्टफॉल को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के पास कौन सी योजना है? सरकार का क्या एक्शन प्लान है? आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन तेजी से घट रहा है, तो कोई न कोई सरकार के पास ऐसा रोड मैप होना चाहिए, जिससे शार्टफॉल को पूरा किया जा सके।

अब मैं कृषि के सम्बन्ध में इस सरकार की गम्भीरता की चर्चा करना चाहूंगा। सन् 2009-2010 के बजट में कृषि के लिए बजट एलोकेशन 10,629 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 करोड़ रुपए अधिक हैं। कृषि के क्षेत्र में कौन सा ऐसा करिश्मा हो जाएगा, कैसे यह सरकार कृषि के क्षेत्र में चमत्कार पैदा करेगी, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। सरकार कहती है कि हमने

एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट फ्लो बढ़ा दिया है। पहले 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए था, उसे बढ़ा कर इस बार के बजट में 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपया इस सरकार ने किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आपके जमाने में 85 हजार करोड़ रुपए था।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरूपम (मुम्बई उत्तर): उन्होंने तो सिर्फ याद दिलाया है कि एनडीए सरकार के समय तो इतना था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सिंह : मुझे सब कुछ याद है, वह भी मैं बताऊंगा। कृषि मंत्री जी का जवाब आएगा, तब वह बताएंगे।

अब क्रैडिट फ्लो बढ़ाने के बावजूद जैसा मैंने कहा कि ऐसे किसान परिवार जिनका बैंकों में एकाउंट है उनकी संख्या घटी है, इस गंभीर प्रश्न पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। क्रैडिट फ्लो तो बढ़ा दिया लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी को इस सरकार ने घटा दिया। क्रैडिट फ्लो आपने बढ़ा दिया, लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी को घटा दिया, स्वभावतः ऐसे किसान परिवारों की संख्या कम हो जाएगी, जिनका बैंकों में एकाउंट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा भी है कि

> "To achieve this, I propose to continue the interest subvention scheme for short-term crop loans to farmers for loans upto Rs. 3 lakh per farmer at the interest rate of 7 per cent per annum. I am also happy to announce that, for this year, the Government shall pay an additional subvention of one per cent as an incentive to those farmers who repay their short-term crop loans on schedule. Thus, the interest rate for these farmers will come down to six per cent per annum. For this, I am making an additional Budget provision of Rs. 411 crore over Interim Budget Estimate."

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): In case of timely repayment, it is zero per cent in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : यह बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक्सपेंडिचर बजट के पेज 16 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पेज पर स्पष्ट लिखा है कि शॉर्ट-टर्म-क्रैडिट का इंट्रेस्ट सबवेंशन वर्ष 2008-2009 के 2600 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2009-2010 में 2011 करोड़ कर दिया गया। यानी इंट्रेस्ट सबवेंशन जो पहले 2600 करोड़ रुपये था उसे घटाकर 2011 करोड़ रुपये कर दिया। इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? मैं मानता हूं कि इस प्रकार के क्रैडिट फ्लो का फायदा बड़े-बड़े किसान उठा लेंगे, लेकिन छोटा किसान बढ़ाये हुए क्रैडिट फ्लो का लाभ नहीं उठा पाएगा। अधिक से अधिक कर्ज का लाभ किसान उठा सके, इसकी चिंता भारत सरकार को करनी पड़ेगी। स्मॉल और मार्जिनल किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंस्टीटयूशनल फाइनेंसिंग का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके, इसके लिए कोई रोडमैप इस सरकार को बनाना पड़ेगा।

क्रैडिट फ्लो सरकार ने बढ़ा दिया, उससे कुछ किसानों को लाभ मिला है, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं लेकिन यह भी सच है कि हमारे बैंक्स की जो बैलेंस-शीट है, उसमें बैड-लोन्स से उबारने की कोशिश उन्होंने की है और इससे उन्हें मदद भी मिली है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो क्रैडिट फ्लो बढ़ाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी आपने घटाई है, इसके कुछ ही किसानों को लाभ मिलेगा, छोटे किसानों के इससे लाभ नहीं मिलेगा।

हम लोगों ने फारमर्स कमीशन बनाया था, उसकी रिक्मेंडेशन थी कि इस देश के किसानों को 4 प्रतिशत रेट पर कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए। आज मैं 4 प्रतिशत रेट की बात नहीं करता हूं, बल्कि आज मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए रेट ऑफ इंट्रेस्ट 4 प्रतिशत से भी कम होना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार अपने किसानों को 4 प्रतिशत से कम पर कर्ज मुहैया करा रही है। यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सरकार 4 प्रतिशत से कम पर किसानों को कर्ज मुहैया करा रही है तो भारत सरकार इस देश के किसानों को 4 प्रतिशत से कम रेट पर ऋण मुहैया क्यों नहीं करा सकती, यह बात हमारी समझ के परे है।

एनडीए के इलैक्शन मैनीफैस्टो में हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 4 प्रतिशत से कम रेट पर हम कर्ज मुहैया कराएंगे और जब कभी हमें अवसर मिलेगा तो हम इस काम को अवश्य करेंगे। जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो 4 प्रतिशत रेट की बात करता था लेकिन आज के हालात को देखते हुए हमारा कहना यह है कि 4 प्रतिशत से कम पर कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए।

इस समय सूखे और बाढ़ का संकट है। इस देश में कहीं न कहीं सूखे और बाढ़ का संकट आता रहता है । मैं कहता हूं कि एक नीतिगत फैसला इस सरकार को करना चाहिए कि जिस क्षेत्र का किसान सूखे और बाढ़ से प्रभावित होता है, उसका कम से कम उस वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। यह भी मैं संसद में अनुरोध करना चाहूंगा। इस बार भी

बहुत सारे क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं। आपको भी जानकारी है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस बार का कोई ब्याज किसान को न देना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मैंने यह अनुभव किया है कि शॉर्ट-टर्म प्लानिंग कृषि क्षेत्र के हालात को सुधारने के लिए बराबर होती रही है। लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि केवल शॉर्ट-टर्म प्लानिंग से ही काम नहीं चलेगा, एक लॉंग-टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक स्पेशल बुलाने की जो बात कही है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन केवल इसी विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इसके बाद हमारा वह लॉंग-टर्म-एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक बहुत बड़ा संकट बीमे से संबंधित है। सूखे से, बाढ़ से फसल बर्बाद होती है और एक ही साल सूखा आता हो और फिर दूसरे साल न आता हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाढ़ एक ही वर्ष आएगी, फिर दूसरे-तीसरे वर्ष नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिस झारखंड के रहने वाले हैं जो वर्षों-वर्षों तक, तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष से लगातार सूखे से प्रभावित है। किसान अपने खेत की जुताई, बुवाई औऱ सिंचाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी बाढ़ और और सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इस संकट से किसान को उबारने के लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने कृषि मंत्री रहते हुए इस योजना पर विचार किया था। मैंने कहा कि यदि मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, डैमेज होने पर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसको कमपनसेट कर सकता है तो किसान के खेत की, किसान के लैंड-होल्डिंग की गारंटीड इनकम क्यों नहीं हो सकती? गारंटीड इनकम निकालने का क्या तरीका होता है, कृषि मंत्रालय में इस बात की जानकारी है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया उसे देखें और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपनी पहली बजट स्पीच देते हुए तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने यह कहा था कि यह जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है, यह ठीक है और इस पर हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी तथा कुछ संशोधनों के साथ इसे हम लागू करेंगे। लेकिन हमारी एक स्कीम फॉर्म इंकम इंश्योरेंस स्कीम-कृषि आमदनी बीमा योजना थी जिसे बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया गया है।

एक योजना हम लोगों ने किसान क्रैडिट-कार्ड की प्रारम्भ की थी। वह एक शॉर्ट-टर्म-क्रैडिट की हमारी व्यवस्था थी और बहुत सारे किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड मिला लेकिन आज भी मुझे सचमुच यह बताते हुए तकलीफ होती है कि आज भी बारह या साढ़े बारह करोड़ जो किसान परिवार हैं, उनमें से बड़ी मुश्किल से आठ या साढ़े आठ करोड़ किसानों के पास ही किसान क्रैडिट कार्ड हैं और किसान क्रैडिट कार्ड का लाभ किसान महसूस करता है। किसान का कहना है कि शॉर्ट-टर्म लोन की जो व्यवस्था सरकार ने की है, वह बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज यदि किसान इस किसान-क्रैडिट-कार्ड को लेने के लिए बैंकों में जाता है तो वहां वह देखता है कि करप्शन का बहुत बोलबाला है। उसे पैसे की अदायगी करनी पड़ती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50,000 रुपये का क्रैडिट-कार्ड अगर उसे लेना है तो हमें तो बिहार में और एक-दो राज्यों से पता चला है और किसी ने बताया कि साहब, हमें 5000, 10000 रु. की अदायगी करनी पड़ती है। कुछ राज्य के किसानों ने यह कहा है कि जब तक हम दो या तीन हजार रुपया अदा नहीं करेंगे तब तक हमको किसान क्रैडिट-कार्ड ही नहीं मिलेगा। इस करप्शन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, बार-बार यह चर्चा सदन में आई है कि जो हमारे बैंक्स हैं, इंस्टीटयूशनल बैंक्स हैं, केवल उन्हीं से ही कर्ज नहीं लेता है, बल्कि 75 फीसदी से अधिक किसान यदि कर्ज लेता है तो महाजनों से कर्ज लेता है। जो हमारे नॉन-इंस्टीटयूशनल सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से वह कर्ज लेता है जिसे महाजनी कर्ज कहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा है हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। इस संबंध में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं कहूंगा कि टास्क फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टास्क को वह लगातार पांच वर्षों तक करता रहे बल्कि इसके लिए टास्क फोर्स से टाइम बाउंड रिपोर्ट मंगवा लें ताकि किसान इसका पूरा लाभ उठा सके। यह केवल विदर्भ के लिए या महाराष्ट्र के लिए होने से काम नहीं चलेगा यह पूरे देश के लिए होना चाहिए। माननीय मंत्री जी सिर हिला रहे हैं इसका मतलब है कि केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं होगा बल्कि सारे देश के लिए होगा।

माननीय महोदय, मैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। क्रॉप इंश्योरेंस कराने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। फसल बीमा सभी किसान नहीं करा पाते हैं। हमारा फसल बीमा के बारे में कहना है कि आपको फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम लानी चाहिए जिसमें लैंड होल्डिंग इनकम की गारंटी तय हो। जिस तरह से आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस अनिवार्य कर देते हैं उसी तरह से किसानों की लैंड होल्डिंग इंश्योरेंस कम्पलसरी कर दें। अब एक संकट प्रीमियम का आता है कि प्रीमियम कहां से दें? जब हमने फार्म-इनकम-इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी तब मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से कहा - हमारे देश का किसान प्रीमियम की अदायगी पूरी नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी इतनी आमदनी नहीं है और जब प्रीमियम की अदायगी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि किसान अपना इंश्योरेंस नहीं करेगा। तब उन्होंने पूछा - आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा - मैं केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह नहीं छोड़ना चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्सचेकर से 75 परसेंट प्रीमियम की अदायगी करे। इससे अटल जी सहमत भी हो गए। तब इसी सदन के सम्मानित सदस्य, श्री जसवंत सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे और इस स्कीम को देखने के बाद उन्होंने कहा था - राजनाथ जी, इस स्कीम को यदि आप पहले चरण में सौ से भी अधिक जिलों में लागू करना चाहेंगे तो जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे निश्चित रूप से वहां दें।...(व्यवधान) हमने 20 जिलों में यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया था लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई थी और उसके बाद यह नहीं हुआ।...(व्यवधान) यह स्कीम है। यह आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, कृषि का विषय बहुत संवेदनशील है। मैं केवल आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं अपनी प्रशस्ति या आन के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी, दोनों यहां बैठे हुए हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी दल हैं, शेष प्रमुख दल भी यहां मौजूद हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, किसानों के हालात को सुधारने के लिए जिस प्रकार के सहयोग की जरूरत है, उसके लिए हम पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं। इसे आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यहां कोऑपरेटिव के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि कोऑपरेटिव की एग्रीकल्चर सैक्टर में बहुत बड़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है जितना बड़ा मूवमेंट हमारे देश में है। हमारे यहां 0.5 मिलियन सोसाइटीज़, 230 मिलियन्स मैम्बर्स, 1.5 मिलियन एम्पलाइज़ कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं। लेकिन यह भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण का शिकार हो गया है। इसे राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार से कैसे उबारा जाए, इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव्स का ढांचा ध्वस्त होता जा रहा है और एक-दो राज्य ऐसे बचे हैं जहां अपेक्षा के अनुरूप जैसा ढांचा कोऑपरेटिव के इफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, वैसा है। सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव्ज का एनकरेजमैन्ट कैसे हो, मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। जब सोसाइटीज की संख्या बढ़ेगी तो मैम्बर्स की संख्या बढ़ेगी और खर्च भी निश्चित रूप से बढ़ेगा।

महोदय, पिछले 25 वर्षों से इनकम टैक्स का एक रूप चला आ रहा था। इनकम टैक्स से कोऑपरेटिव्ज को एग्जैम्पशन थी। लेकिन दो-ढाई, तीन वर्षों से इन पर फिर से इनकम टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स जो 25 वर्षों से एग्जैम्प्टिड था, आपने उसे फिर से इम्पोज किया है। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को इनकम टैक्स से पूरी तरह से एग्जैम्प्ट कर दिया जाना चाहिए। यह मांग भी मैं आपसे करना चाहूंगा। कोऑपरेटिव्ज के रिवाइवल के बारे में भी मैं समझता हूं कि एक पालिसी फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भी विचार होना चाहिए। कई ऐसी स्टेट्स की कोऑपरेटिव्ज हैं, जहां इलैक्शन समय पर नहीं होते हैं, वहां समय पर इलैक्शन हों, इसके लिए एक प्रकार की संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए। कोऑपरेटिव्ज से लोन लेने वालों को कम रेट ऑफ इंटरैस्ट पर लोन मिल सके, इसके बारे में भी आज विचार करने की आवश्यकता है। 'नाबार्ड' रीफाइनैन्सिंग एजेन्सी है। आर.बी.आई. से नाबार्ड को और अब तो सरकार भी नाबार्ड को डिफरैन्ट एजेन्सीज के प्रोग्राम्स को इम्पलीमैन्ट कराने के लिए पैसा देती है। लेकिन हमारा कहना है कि नाबार्ड जो कोऑपरेटिव्ज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पैसा देता है, वह आज आठ से लेकर दस फीसदी तक रेट ऑफ इटरैस्ट पर देता है। हमारा कहना है कि इसे और कम कीजिए, ताकि हमारे किसान यदि कोऑपरेटिव्ज से लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें तीन, चार या पांच फीसदी की अधिकतम दर पर कर्ज की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए इस रेट ऑफ इंटरैस्ट को भी कम करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे स्टिमुलस पैकेज दिये हैं। लेकिन वे सब चुनाव के पहले दिये हैं, हालांकि बाद में भी कुछ स्टिमुलस पैकेज दिये हैं। लेकिन आप पूरा बजट देख डालिये, कृषि क्षेत्र के लिए कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं है।

कृषि क्षेत्र का एक संकट सॉइल हैल्थ, मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर है। मिट्टी की फर्टिलिटी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि सॉइल हैल्थ कार्ड हर किसान को जारी किया जाना चाहिए और सॉइल टैस्टिंग के लिए जो लैबोरेट्रीज बनी हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है। मैंने देखा है कि कई लैबोरेट्रीज ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। सॉइल कांस्टीटयूशन समझे बिना यदि किसान उसमें कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है तो किसान को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ उसे नहीं मिल पाता है। बल्कि कभी-कभी सॉइल हैल्थ को, सॉइल के कांस्टीटयूशन को, उसकी रचना को समझे बिना यदि किसान कैमिकल फर्टिलाइजर डाल देता है तो उसे उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, इससे उसकी सॉइल की, उसकी लैंड होल्डिंग की पूरी फर्टिलिटी कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। हमारा कहना है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहे, इस पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सॉइल एनरिचमैन्ट के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। हमारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो इस जागरूकता अभियान में सहयोग कर सकती हैं।

आज कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग जितनी तेजी के साथ हो रहा है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी जमीन, हमारे खेत की फर्टिलिटी निरंतर कम होती जा रही है। आज बॉयो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। पहले कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, केंचुए की खाद आदि तरह की बहुत सारी चीजें गांवों में प्रयोग में लाई जाती थीं। लेकिन अब उनमें काफी हद तक कमी आई है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि इस देश का किसान फिर से उन पर वापस हो रहा है।

मानसून के संबंध में मैंने पहले ही चर्चा की है। लेकिन मैं सिंचाई के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सिंचाई की मद में काफी धनराशि खर्च की गई है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वह पूरी तरह से नॉमिनल है। आज भी हमारे पास 40 परसैन्ट सिंचित क्षेत्र है और 60 परसैन्ट असिंचित क्षेत्र है। जल के प्रबंधन की आवश्यकता है। ट्यूबवैल का प्रयोग किसान बिजली के माध्यम से अपने खेत में करता है। अब न्युक्लीयर एनर्जी की बात भी आयी थी लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता हुई है। आपने आश्वस्त किया था कि हम इतनी पॉवर जनरेट करेंगे, न्युक्लीर पॉवर जनरेट करेंगे कि देश के आम नागरिक की बिजली की जितनी आवश्यकतायें होंगी, वे पूरी होंगी। इधर जी-8 में यह सवाल खड़ा कर दिया गया कि भारत एन.पी.टी. का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिये एनरिंचमेंट और साथ ही साथ जो रिप्रोसैसिंग रिएक्टर्स हैं. उनके देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हं कि यह भी एक बहत बडा संकट पैदा हो गया

है। नेशनल फारमर्स कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है जिस पर चर्चा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेनफैड एरियाज के बारे में कहना चाहूंगा कि इसके लिये एक अथॉरिटी बनायी गई थी। मैं ऐसा समझता हूं कि रेनफैड एरिया अथारिटी आज कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो रेनफैड एरियाज़ हैं, अगर वहां पर वर्षा नहीं होती है तो क्या फसल पैदा करनी चाहिये, क्या उत्पादन होना चाहिये? इस संबंध में भी कुछ करने की आवश्यकता है। फर्टिलाइजर की कमी बड़ी तेजी के साथ हुई है। चाहे वह डीएपी हो, यूरिया हो या अमोनिया हो, उसकी कमी तेज़ी के साथ हुई है। किसानों को ये फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने देखा है कि कई स्थानों पर किसानों को फर्टिलाइजर के लिये लड़ना झगड़ना पड़ता है। कहीं-कहीं तो लाठी-चार्ज भी हुआ है। इस संकट से किसानों को उबारिये.। इस सरकार ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है कि पहले फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिलती थी, उस पर 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी कम कर दी है। मेरा कहना है कि यह सब्सिडी कम नहीं करके इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इंडियन सीड्स इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें और ताकत दिये जाने की आवश्यकता है, उन्हें और मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है। आज मल्टी नेशनल कम्पनीज़ उन्हें खरीद रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 20 से अधिक ऐसी इंडियन सीड्स इंडस्ट्रीज को मल्टी नेशनल कम्पनीज़ ने खरीद लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिये। आज इंडियन सीड्स कम्पनीज़ को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं मोनसैंटो है, क्या कर रही है। 450 ग्राम बीटी काटन का पैकेट 1200-1300-1400 रुपये में मिल रहा है। फिर क्यों न किसान आत्महत्या करे? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ट्रेडीशनल सीड्स हैं, उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिये। जैनेटिकली जो हमारे सीड्स आ रहे हैं, वे टर्मिनेटर सीड्स हैं। एक बार उस बीज का प्रयोग करने के बाद दुबारा किसान उस बीज का प्रयोग अपने खेतों में नहीं करता है। इस संकट से किसानों को उबारिये। हमारे जो पहले

टेड्रीशनल सीड्स थे, वे हम पैदा करते थे, दस बार लगातार उसका प्रयोग करते थे और नये बीज पैदा करते रहते थे और उसी का उपयोग किया करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल जाये तो उसका सारा दुख-दर्द अपने आप दूर हो जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकार यह दावा करती है कि सी.ए. सी.पी. जो रिकमैंडेशन्स करती है, उसके आधार पर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण सरकार करती है लेकिन मैंने देखा है कि यह पूरी तरह से नहीं होता है। हमारा कहना है कि सी.ए.सी.पी. को एक स्टैचुटरी स्टेटस दीजिये। इसके साथ ही डा. स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिशें दी हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करते समय 50 परसेंट का जो फॉर्मूला है, वह लागू किया जाना चाहिये। क्राप्स डाइवर्सिफिकेशन का सुझाव हम किसानों को देते हैं। इसके साथ किसानों को यह भी बताइये कि हम जो फसल बोने की बात आपको बता रहे हैं, फसल की मिनिमम प्राइस क्या होगी? फसल की बुवाई से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार को करनी चाहिये। इसके संबंध में निर्णय करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टोरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि गेहूं चावल के स्टोरेज के लिये प्रापर गोदाम न होने के कारण वे सड़ जाते हैं। पिछले तीन वÃाेंर् में जैसा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है एक लाख 10 हजार टन गेहूं और चावल खराब हो गया है। लोग भूख से मर रहे हैं, कुपर्षोण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तीन वर्षों के अंदर एक लाख 10 हजार टन गेहूं और चावल खराब हो गया है। वित्त मंत्री जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि इस देश के हर ब्लाक हैडक्वार्टर पर अथवा हर ब्लाक में कहीं न कहीं एक स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, वहां पर एक गोडाउन बन जाए ताकि यदि किसान अपनी उपज को वहां स्टोर करना चाहे तो वह फसल को स्टोर कर सके।

महोदय, सरकार ने फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे दावे किये हैं, लेकिन दो रूपए किलो गेहूं और तीन रूपए किलो चावल कैसे मिल जाएगा, आप इतनी जल्दी क्या करेंगे, आप कहां से फूड ग्रेन लाएंगे, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने कहा है कि आप फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इसके बारे में सक्सेना कमेटी बनी थी और इस कमेटी की कुछ रिकमंडेशंस हैं। सक्सेना कमेटी की रिकमंडेशंस में इस बात का उल्लेख है कि 23 परसेंट बिलो पावर्टी लाइन के गरीब लोग हैं, जिन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है। इस लाल, पीले और हरे राशन कार्ड के कारण भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो चीजें लोगों को उचित कीमत पर मिलनी चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल पाती हैं। भारत का पीडीएस सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है। सब्सिडी का बहुत बड़ा भाग उसके ट्रांसपोर्टेशन और प्रिक्योरमेंट पर चला जाता है। किसान को सब्सिडी का जितना लाभ मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाता है।

महोदय, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक्सटेंशन सर्विसेज को भी आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है कि युवकों में कृषि के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हो? मैं समझता हूं कि कृषि को इंटीलेक्चुअली, स्टिम्युलेटिंग और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग बनाने की आवश्यकता है। आप एग्री-क्लीनिक खोलिए, ई-चौपाल्स खोलिए, एग्री-बिजनेस प्रारंभ कीजिए और इसके लिए पर्याप्त बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। इस बार जितना बजटरी एलोकेशन हुआ है, वह ठीक नहीं है।

महोदय, अधिक चर्चा न करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज विश्व के दूसरे देश, जो वैस्टर्न कंट्रीज हैं कृषि के संबंध में पर्याप्त चिंता कर रही हैं। अब समय आ गया है कि यदि इस ग्लोबल कम्पीटीशन में हम अपने देश को, देश के किसानों को खड़ा करना चाहते हैं तो हमारी चिंता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र पर अधिक होनी चाहिए। यदि हम अपने देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें कृÂिाष क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना होगा, किसानों के हालात को सुधारना होगा और जितना ध्यान हम उद्योग पर देते हैं उससे भी अधिक ध्यान हमें कृÂिाष क्षेत्र पर देने की आवश्यकता है।

महोदय, अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी आपने कॉमनवेल्थ पर 3 हजार करोड़ रूपया खर्च किया है, मैं कॉमनवेल्थ का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसका स्वागत है और मुझे को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने इरीगेशन के मद में केवल एक हजार करोड़ रूपए का एलोकेशन किया है। ये सब चिंता के वि ष य हैं, इससे किसान चिंतित होता है, इसलिए मैं समझता हूं कि अब आप ज्यादा प्रतीक्षा मत कराइए और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से कदम आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां कृषि क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर सरकार से साथ पूरी तरह खड़ी दिखायी देंगी।

CUT MOTIONS

TOKEN

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) :

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आपने मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण, जो देश के खेत, खलियान, चौपाल और जन-जन से जुडे विÂा य से संबंधित कृÂिा विभाग है, माननीय कृÂिा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

15.00 hrs.

मैं बड़े ध्यान से सम्मानित सदस्य आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था। यह इत्तफ़ाक है कि इस सदन में भी मैंने सुना और 20-25 बरसों में हम दोनों उत्तर प्रदेश के सदन में बैठकर भी एक दूसरे को सुनते थे। मैं पहले उनको धन्यवाद तो इस बात का दूँगा कि आज उन्होंने कहा मैं कटौती प्रस्तुत नहीं करूँगा, निस्संदेह इसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा, लेकिन कदाचित्, अगर उन्होंने माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत उस कृषि बजट के साहित्य को देखा होता तो शायद इस बार के कृषि मंत्री द्वारा रखे गए बजट पर आलोचना के बजाय वे उनको बधाई देते, मैं यह समझता हूँ। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें कहीं, उन्होंने अंतिम बात यह कही कि कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए 3000 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह बात कृषि से संबंधित नहीं भी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा। आज देश के गाँव गाँव में हर व्यक्ति पूछता है कि हम जब दुनिया की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हैं और अपने को हम मानते हैं कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनके मुकाबले खड़े हैं, तो क्या हम ओलम्पिक नहीं करा सकते हैं? गाँव के किसी खेत, खलिहान या चौपाल में बैठे हुए लोग भी आज इस बात को महसूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक के लोग, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इस बात को सोचते हैं कि अगर देश में कॉमनवैल्थ गेम्स कराने के लिए 3000 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, और कल अगर ओलम्पिक्स की मेज़बानी मिले तो 10 हज़ार करोड़ रुपये भी देने पड़े तो यह सम्मानित सदन देगा और निश्चित तौर से इससे देश का सम्मान बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा कि हम भी ओलम्पिक्स करा सकते हैं, हम भी कॉमनवैल्थ करा सकते हैं। रही बात एग्रीकल्चर की। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य को मैंने बड़े ध्यान से सुना। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्य को सुना। मैं उनकी स्पीच को दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि में कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया गया। मिट्टी की टैस्टिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कैमिकल की जगह आर्गैनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए; जो रेनफैड एरिया है, उसके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए; खाद की कमी के संबंध में कहा; ट्रेडीशनल सीड्ज़ के बारे में कहा; किसानों की उपज के बारे में कहा और

उत्पादन के बारे में कहा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चुप रहिये। उनको बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि कृषि बहुत गंभीर विषय है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न पक्ष और न प्रतिपक्ष का यह सवाल है। हमें अपने सदस्यों से कहना चाहिए कि गंभीरता का माहौल रखें। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से भी यह अनुरोध करूँगा। जहाँ तक रिप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर माननीय सदस्य के रिप्लाई से ही आप संतुष्ट हो जाएँ तो माननीय कृषि मंत्री जी के जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ...(व्यवधान) अच्छी बात है! ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनका जवाब मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार की जो राष्ट्रीय विकास योजना है, उसके अंतर्गत हमारी सबसे ज्यादा चिन्ता अगर है तो वह सॉइल हैल्थ की है। क्योंकि हम मानते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से कैमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और कैमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, सॉइल हैल्थ में कमी आ रही है जिसकी चिन्ता उन्होंने भी व्यक्त की है। आज हमारे खाद्यान्न में स्टैगनेशन आ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, खेती अलाभप्रद हो रही है और ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम सॉइल हैल्थ की चिन्ता के लिए उत्तर प्रदेश की ही बात करें इस बजट में जहाँ 2008-09 में 420 करोड़ रुपये दिये थे और 2009-10 के लिए कृषि मंत्री जी 1000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिसके लिए मैं यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। उसमें जो सॉइल हैल्थ बनाने की बात है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की बात है, उसके लिए लोगों में जागरूकता लाने की बात है।

हमने राज्यों को पैसा दिया है और कहा है कि किसानों के लिए कौन-सी उपज के लिए कौन-सी मिट्टी उपयोगी होगी। इसके लिए 15 लाख टैस्ट्स हमने मैनडेटरी किए हैं। जो पैसे हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दे रहे हैं, उसमें सोइल ठीक हो और किसान कौन सा काम करें, उसके लिए 15 लाख कम से कम हमारी मिट्टी का मृदा परीक्षण हो। हम इस बात की चिंता करते हैं कि बैलेंस आफ फर्टिलाइज़र हो, खादों का संतुलन हो। हम कैमिकल फर्टिलाइजर के स्थान पर आर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। हम ढैंचा का इस्तेमाल करें, जिस्ट कम्पोस्ट का इस्तेमाल करें। आखिर 15 लाख टेस्ट्स हम क्यों करवा रहे हैं? ट्रेडीशनल खेती की बात की जा रही है। लेकिन हर साल 35 हजार हेक्टेयर जमीन कम होती जा रही है, क्योंकि नए विकास के आयाम आ रहे हैं, नई फैक्टरीज़ बन रही हैं, नई कालोनीज़ बन रही हैं। आज गांवों में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आज जमीन का रक्बा कम होता जा रहा है। आज निश्चित तौर से उस कम जमीन पर हम हाई ब्रीड क्वालिटी अगर नहीं डालेंगे, तो आने वाले दिनों में हम न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और न लोगों की आवश्यकता ही पूरी कर सकते हैं। आज इसलिए हमने जिप्सम पर 90 प्रतिशत सब्सीडी दी है, हार्टीकल्चर पर भी ध्यान दिया है और सेरीकल्चर पर भी ध्यान दिया है, इसीलिए हमने पोलीपैक बनाने की बात कही, ग्रीन हाउसेज़ की बात कही या हमने फार्मर फील्ड स्कूल खोले, स्पैसिफिक एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के लिए और 29 हजार टयूबवैल जो कि राज्यों का काम है, उसको भी एनर्जाइज करने का काम भी करने जा रहे हैं। हम राज्यों का क्लाइमैटिक एक्रो जोन बना रहे हैं, जिससे यह पता लग सके कि कहां व्हीट, गेहूं और दालें पैदा हो सकती है।

महोदय, गन्ने की खेती कम हो रही है। गन्ने की खेती कम क्यों हो रही है? गन्ना और कॉटन कैश क्राप माना जाता है। कोई भी किसान गन्ने की खेती कम नहीं करना चाहता है, लेकिन यदि गन्ने का मूल्य राज्य सरकार नहीं देगी, यदि किसान को अपने गन्ने के भुगतान के लिए ट्रेड यूनियन का चक्कर लगाना पड़े, यदि गन्ने का भुगतान न होने के कारण उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, बूढ़े बाप की तीमारदारी और अस्पताल में इलाज न करा सके, अपने बेटे की फीस न दे सके तो इसके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उनको गन्ने का मूल्य देना चाहिए। माननीय सदस्य ने गन्ने का मूल्य न मिलने पर चिन्ता व्यक्त की है, गन्ने की खेती कम हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हम गन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, हमारी कैश क्राप केवल गन्ने की खेती है। हमने देखा है कि जिस गन्ने को पैदा करके हमने चीनी मिल को दिया है, उसका मूल्य प्राप्त करने के लिए गोलियां खायी हैं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद तीन बार गोलियां चली हैं, उन तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पडरौना में गोली चली थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? आज वह आपके साथ में नहीं है, पार्टी छोड़ चुके हैं। रामकौला में गोली चली थी, मुण्डेरवा में गोली चली, उस समय आपके मुख्यमंत्री नहीं थे, बसपा की मुख्यमंत्री थीं। किसानों को गोली चलवाने वाले लोग यह कहें कि गन्ने की खेती कम हो रही है। उनसे ज्यादा चिन्ता गन्ने की खेती की हमें है।

महोदय, क्राप के इंश्योरेंस की बात माननीय सदस्य ने कही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न हुए थे। तत्कालीन वित्त मंत्री बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि आप जितने जिलों में मांगेंगे, उतने में देंगे। राजनाथ सिंह जी आप सवा छः साल तक सरकार में रहे, यदि क्राप के इंश्योरेंस के लिए आपकी सरकार को फैसला लेना होता तो आपकी सरकार को फैसला ले लेना चाहिए था।

15.08 hrs.

(Madam Speaker in the Chair)

आज यदि आप इस सरकार के बारे में कहें तो यह सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। यह सरकार ऋणग्रस्तता को समझती है कि किसानों की खेती अलाभप्रद हो रही थी और आप ब्याज माफ करने की बात करते हैं, उस खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): पचास साल आपकी सरकार रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :आप शांत होकर बैठ जाइए, इन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, बजट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि खेती अलाभप्रद से लाभप्रद हो, समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य से अधिक हो और मजदूरों का पलायन रूके। यदि यह तीनों काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, यूपीए की सरकार ने किया है। गांव में रहने वाला मजदूर और किसान दो-चार महीने खेती में रहता है और जब बेकार होता है, तो उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था, उसे मजबूर होकर मुंबई कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद की सड़कों पर दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती थीं। मजदूर बहुत बड़ी संख्या में पलायन करता था।

अध्यक्ष महोदया, अभी मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में कहना चाहूंगा। नरेगा से रबी और खरीफ की फसल से मजदूर को फुर्सत मिलती है तो उसी गांव में उसे नरेगा के अंतर्गत काम मिलता है और सौ रुपए के हिसाब से मिलता है। गांव में जिस तरह पहले मजदूरों का पलायन हो रहा था, वह रुका है और वह इसलिए रुका है, क्योंकि आज गांव में उसे रोज सौ रुपए के हिसाब से तीन हजार रुपए महीने के मिल रहे हैं। जब नरेगा का काम खत्म होता है तो वह अपना रबी और खरीफ की फसल का काम करता है। जहां तक खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद बनाने की बात है, यह सही है कि किसान ऋण के बोझ से आत्महत्या भी कर रहा है। बुंदेलखंड में हमने अपनी आंखों से देखा है, हिन्दुस्तान के तमाम इलाकों में देखा है। हम लोग राहुल जी के साथ गए थे। हमने राज्य सरकार से ब्याज की माफी की बात की, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने ब्याज माफ करने का विचार नहीं किया। उसी ऋणग्रस्तता को किसान को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए, खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद बनाने के लिए पांच करोड़ किसानों का 71600 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने माफ किया है, जिससे कि आज हमारी खेती लाभप्रद हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप ये सब टिप्पणी रहने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यदि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही 27 योजनाओं की जानकारी करते तो निश्चित तौर से बधाई देते। आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कृषि मंत्रालय से चलाया जा रहा है, उसमें भी as per the resolution of 53rd meeting of NDC, हमने कहा कि कहां व्हीट, राइस और प्लसेस की खेती ज्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से हमने पैसा देना शुरु किया है। आपने कहा कि कृषि के बजट को और बढ़ाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भारत सरकार ने सन् 2008-09 में 190 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 190 करोड़ रुपए व्हीट, राइस और प्लसेस की खेती को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया, लेकिन उसमें राज्य सरकार केवल 130 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, 60 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई है। ...(व्यवधान) ये कहते हैं कि हमारा बजट बढ़ गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसके बावजूद भी सन् 2009-10 में हमने इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 190 करोड़ रुपए दिए थे। मैं श्री मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 190 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 309 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा मिल सके। आज हम किसानों को ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम जो किसानों को अनुदान के रूप में राहत दे रहे हैं, किसानों को सीधे सब्सिडी मिले। हमें किसानों की चिन्ता है। यह बात सही है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, वह पैसा राज्यों में गांव के किसानों की जेब तक नहीं पहुंच रहा। यह चिन्ता राजीव जी ने भी की थी कि 15 पैसे मिलते हैं और राहुल जी ने भी की कि दस पैसे मिलते हैं। आज भी यह सच्चाई है, इसको सब मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार कांग्रेस, यूपीए सरकार ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि हम जो सब्सिडी का पैसा किसानों को दे रहे हैं, वह किसानों की जेब तक जाए। किसानों का उत्पादन बढ़े, फसल का प्रदर्शन हो सके। हम किसानों के खेतों पर कुछ फ्री करने जा रहे हैं। हम मिनी किट बांटेंगे, जिसमें कृषि से जुड़ी चीजें होंगी - चाहे व्हीट, हाईब्रिड या अन्य खाद की चीजें हों, ये भी किसानों को हम फ्री में देंगे। कृषि यंत्र - चाहे फर्टिलाइज़ल ड्रिल हो, रोटाबेटर हो, थ्रेशर, कृषि रसायन यंत्र हों, ये सारी चीजें हम उन्हें देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की 27 योजनाएं हैं - चाहे वह माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, जो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है। इस बात को आप भी मानेंगे कि 22 हजार करोड़ रुपए हमने सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के लिए दिए हैं। आज सुबह हमारे ग्राम विकास मंत्री जी कह रहे थे कि हम इस पर 70 परसैंट देंगे, 30 परसैंट प्रदेश को देना है। आज राज्य मेचिंग ग्रांट नहीं देती है, केन्द्र से जो पैसा

राज्यों में जाता है, वह ऐसे ही पड़ा रहता है। मेचिंग ग्रांट न होने के कारण निश्चित तौर से वे योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। आपने चिन्ता की है, लैब टू लैंड की बात की है कि लैब से किसानों के खेत तक टैक्नोलॉजी पहुंचे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीस हैं। वहां पर लोगों को पिछले तीन सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर आईसीएआर की स्कीम भारत सरकार की नहीं चल रही होती तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीस बंद हो जातीं। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज वैज्ञानिकों की रिसर्च की, शोध की जितनी स्कीम्स चल रही हैं, अगर लैब टू लैंड कार्यक्रम को खेतों तक पहुंचाया जाये...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you may continue with your speech after the statement by hon. Prime Minister.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष या माननीय सदस्य, जिन्होंने कृषि पर अपने विचार रखे थे, शायद वे उत्तर सुनना नहीं चाहते होंगे, इसलिए सदन छोड़कर जा रहे हैं। ...(व्यवधान) ऐसा ही है तभी आप जा रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूं कि कृषि से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बजट नहीं हो सकता। एक बार नेता, प्रतिपक्ष खड़े हो गए, हम सब यील्ड हो गए। उनकी बात को प्रधान मंत्री जी ने सुन लिया, वित्त मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अगर वाकई भारत के किसानों में, भारत की कृषि में, भारत के खेत-खलिहानों में दिलचस्पी होती तो सदन छोड़कर कभी नहीं जाते, सदन में बैठकर खेत-खलिहान के बारे में सुनते। आज खेती हम लोगों की जिंदगी है और जिस तरह खेती कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। मैं उसे ज्यादा दोहराना नहीं चाहता कि हमने कृषि ऋण के फ्लो को सन् 2008-2009 में दो लाख 87 हजार करोड़ रुपये किया था जिसे 2009-2010 में तीन लाख 25 हजार करोड़ रुपये किया गया। इतनी बड़ी वृद्धि किसानों को कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सीधे-सीधे सहायक होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमने इसके लिए इतनी बड़ी धनराशि रखी है, वहीं जब एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने मात्र 85 हजार करोड़ रुपये देश के किसानों के लिए रखे थे। ये किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं। आज इस लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं। अगर किसानों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, किसानों को समर्थन मूल्य मिल सके, हम नहीं पूरा देश याद करता है कि जिस समय एनडीए की सरकार थी, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में रबी की फसल का समर्थन मूल्य 560 रुपये किया था। आज यूपीए सरकार ने 1080 रुपये प्रति क्विंटल दिया है, भारत के किसानों के लिए दुगुना किया है। इससे आज किसे लाभ हो रहा है? इसका लाभ सीधे-सीधे किसानों को मिल रहा है। किसानों को चिन्ता होती थी कि हमारे उत्पादन की कीमत नहीं निकलती। आज जो समर्थन मूल्य दिया गया है, वह उनके उत्पादन मूल्य से अधिक दिया गया है। हम कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक मिले। जो बजट रखा गया है, वह देश के गांवों, खेत-खलिहान और किसानों के हित को देखकर रखा गया है - चाहे भारत निर्माण की योजनाएं हो, गैर कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं भी सीधे-सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं - चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अगर किसानों का माल खेत से मंडी तक नहीं पहुंचेगा तो उन्हें उचित मूल्य कैसे मिलेगा। आज अगर गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सड़कें बनती हैं, उस सड़क का आवागमन होता है तो किसान भी अपनी बैलगाड़ी, अपने ट्रैक्टर पर अपने उत्पादित माल को मंडी में ले जाकर बेच सकता है और उसे बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं। सब पैसा, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, भारत निर्माण का हो, अगर उसका सीधा लाभ किसी को मिलेगा तो इस देश के किसानों को मिलेगा।

सूखे की बात की जाती है, खाद की बात की जाती है। जिस दिन सूखे के बारे में चर्चा हुई तो ऐसा लग रहा था कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। अगर प्रदेश में सूखा है, तो राज्यों में सूखे के प्रबंधन के लिए...(व्यवधान) आज पूरे देश में जहां भी सूखा है, आखिर अभी तक राज्यों ने कौन से कदम उठाए। क्या कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स भेजी? केन्द्रीय अध्ययन दल की बात की? कितने प्रतिशत सूखा है, इसकी कोई रिपोर्ट भेजी? जब 50 प्रतिशत से अधिक सूखा होगा, हम और आप 28 साल तक उस सदन में रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है। केवल इस तरह आलोचना करने से काम नहीं होगा। निश्चित तौर से देश की जनता यह समझ चुकी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू होगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हमें सोमवार को पांच मिनट का समय दे दीजिएगा, हम सोमवार को कंटीन्यू करेंगे।...(व्यवधान) मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं यूपीए सरकार को इस बात की बधाई दूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहिए। उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हम कृषि के लिए जो चार प्रतिशत विकास दर रखना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। मुझे इसके लिए सोमवार को समय दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहिए। अभी आपके पास एक मिनट का समय है, आप बोल लीजिए।

â€¦(व्यवधान)